राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(19)राज-6/92/6   जयपुर, दिनांक:- 13.4.2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 101 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 2000 है।

   (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 11 के उप-नियम (3) में खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड (ख ख) अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

   "(ख ख) अन्य पिछडा वर्ग का ऐसा सदस्य जो भूमिहीन कृषक है।"

राज्यपाल के आदेश से,

13/4/2000

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

मनोज/